प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
मुख्य बेंच, नई दिल्ली।

संख्याः 8617 /जे0ए0प्रथम/एन0जी0टी0–सुरेन्द्र सिंह/2024 दिनांकः 18-07–2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–461/2023 सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के सन्दर्भ संख्या–एच.09957/सी–3/एन0जी0टी0 345/2024 दिनांक 25.04.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–461/2023 सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 के अनुपालन में नगर आयुक्त नगर निगम, मेरठ एवं जिला मजिस्ट्रेट मेरठ की ओर से नामित अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ को सुनवाई के दिनांक 19.07.2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष आख्या सहित उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है।

प्रश्नगत प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ द्वारा अपनी आख्या पत्रांक–822/वाद फाइल दिनांक 10.07.2024 प्रेषित करते हुए उल्लेख किया गया है कि "योजित ओ0एस0 सं0–461/2023 सुरेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 के अनुपालन में विपक्षी सं0–061 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ द्वारा अपनी प्रति उत्तर/काउन्टर ऑनलाईन खण्ड कार्यालय के पत्रांक 355/जी–14/11 दिनांक 30.03.2024 द्वारा दिनांक 30.04.2024 एवं दिनांक 15.05.2024 को ई–मेल के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित करा दिया गया है, जिसमें उल्लेख है कि "योजना सं0–6 जागृति विहार मेरठ स्थित भूखण्ड सं0–42/1 क्षेत्रफल 800 वर्ग मी0 मुख्यालय के आदेश सं0–1127/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 22.11.2006 द्वारा उक्त भूमि का बेटरमेन्ट चार्ज लेते हुए भू–स्वामी के पक्ष में छोडी गयी थी। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार जिसके स्वामी श्री अशोक जोली, श्री विनोद जोली, श्री रमन जोली एवं श्रीमती कृष्णावती द्वारा मुख्तारेआम श्री समय सिंह सैनी है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड के एक भाग (45/1) में श्री राकेश शर्मा, निवासी 476/5, जागृति विहार मेरठ द्वारा प्रश्नगत स्थल पर डेरी संचालन की सूचना अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 11.12.2023 कार्यालय में दी गयी। जिसके विरूद्ध खण्ड कार्यालय के पत्रांक 1470/नोटिस/ दिनांक 13.12.2023 के द्वारा डेरी संचालक/भू–स्वामी के विरूद्ध अन्तिम नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें डेरी संचालक को एक माह के अन्दर डेरी संचालन की गतिविधि बन्द करने हेतु कहा गया अन्यथा की स्थिति में डेरी संचालक के विरूद्ध परिषद अधिनियम 1965 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु सूचित किया गया है।(छायाप्रति संलग्न)

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों की टीम द्वारा प्रश्नगत स्थल 42/1 में सृजित भूखण्ड सं0–45/1, जागृति विहार मेरठ का निरीक्षण दिनांक 01.02.2024 को किया गया। जिसमे पाया गया कि वर्तमान में उक्त आवासीय भूखण्ड पर टीन शैड डालकर निर्माण किया गया है एवं प्रश्नगत स्थल पर कोई पशुपालन/डेरी का संचालन नहीं किया जा रहा है। स्थल फोटोग्राफ संलग्न है।"

प्रकरण में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ द्वारा अपनी आख्या पत्रांक–977 / अ0न0आ0–न0नि0मे0 / 2024 दिनांक 12.07.2024 प्रेषित करते हुए उल्लेख किया गया है कि "दिनांक 18.01.2024 में शिकायती स्थल पर निरीक्षण के समय मात्र एक बछिया व एक गाय पाली जा रही थी, जिसका गोबर किचन गार्डन में खाद्य के रूप मं उपयोग किया जा रहा था। शिकायती स्थल पर कोई गोबर या गोमूत्र नहीं पाया गया तथा शिकायती स्थल पर साफ–सफाई भी पर्याप्त पायी गयी थी। वर्तमान में गोपालक श्री राकेश शर्मा द्वारा कोई भी गाय या बछिया नहीं पाली जा रही है तथा शिकायती स्थल के आस–पास का क्षेत्र भी साफ–सुथरा है।"

प्रकरण में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा अपनी आख्या पत्रांक–299 / जी / ओ0ए0–461 / सुरेन्द्र / 2024 दिनांक 22.06.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "वाद में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 02.08.2023 के क्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गठित समिति द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.09.2023 को किया गया एवं समिति की संयुक्त रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 02.11.2023 को दाखिल की गयी है।(जिसकी छायाप्रति संलग्न है।)

प्रकरण में अद्योहस्ताक्षरी की ओर से भिज्ञ अधिकारी श्री पंकज राठौर, अपर नगर मजिस्ट्रेट (सिविल लाईन), मेरठ को मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष मय अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ एवं अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ की आख्या सहित उपस्थित होने हेतु भेजा जा रहा है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(दीपक मीणा)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

<u>प्रतिलिपि</u>–

1– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।

2– अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।

3– श्री पंकज राठौर, अपर नगर मजिस्ट्रेट–सिविल लाईन, मेरठ को दिनांक 19.07.2024 को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष अद्योहस्ताक्षरी की ओर से उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की आख्या से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15/7/2024

(दीपक मीणा)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2018

सत्यमेव प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड मेरठ–03

ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ
(Email id:-eecdmeerut03@gmail.com)

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक – 322 / वा०ख०मे०-3 दिनांकः 10/7/24

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी, (नगर)
जनपद मेरठ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई–दिल्ली में योजित ओ0एस0 संख्या–461/के सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के अनुपाल में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिला माजिस्ट्रेट मेरठ के पत्रांक 8281/जे0ऐ0प्रशा0/एन0जी0टी0 2024 दिनांक 18.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने के कृष्ट करे, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 आदेश दिनांक 09.04.2024 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन कर अनुपालन अख्या मा0 एन0जी0टी0 नई–दिल्ली को नियत दिनांक 19.07.2024 से पूर्व उपलब्ध कराते हुए कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि योजित ओ0एस0 सं0–461/2023 सुरेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के अनुपालन में विपक्षी सं0–061 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ द्वारा अपना प्रति उत्तर/काउन्टर ऑनलाईन खण्ड कार्यालय के पत्रांक 355/जी–14/11 दिनांक 30.04.2024 द्वारा दिनांक 30.04.2024 एवं दिनांक 15.05.2024 को ई–मेल के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित करा दिया गया है। जबाब की प्रति आपको अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

भवदीय

(एस0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

18 81

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड मेरठ–03

ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ
(Email id:-eecdmeerut03@gmail.com)

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्रांक – 355 / 614 / 11 दिनांकः 30/3/24

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण
मुख्य बेंच, नई दिल्ली।

विषय : मूल प्रार्थना पत्र सं0–461 / 2023 सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वाद उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2024 को आदेश पारित किये गये थे कि "In the Present case the colony is stated to have been developed by uttar pradesh awas Evam Vikas parishad (UPAVP) and in the facts circumstances of the case, we consider presence of UPAVP to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case accordingly UPAVP is Impleaded as respondent no 6"

इस सम्बन्ध में विपक्षी सं0–06, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से जबाव / प्रतिउत्तर निम्नवत् है।

1. योजना सं0–6, जागृति विहार मेरठ स्थित भूखण्ड सं0–42 / 1 क्षेत्रफल 800 वर्ग मी0 मुख्यालय के आदेश सं0–1127 / एल0ए0सी0 / एच0क्यू0 दिनांक 22.11.2006 द्वारा उक्त भूमि का बेटरमेन्ट चार्ज लेते हुए भू–स्वांमी के पक्ष में छोड़ी गयी थी। कार्यालय अभिलेखें के अनुसार जिसके स्वामी श्री अशोक जोली, श्री विनोद जोली, श्री रमन जोली एवं श्रीमती कृष्णावती द्वारा मुख्तारेआम श्री समय सिंह सैनी है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड के एक भाग (45 / 1) में श्री राकेश शर्मा, निवासी–476 / 5, जागृति विहार मेरठ द्वारा प्रश्नगत स्थल पर डेरी संचालन की सूचना अवर अभियना द्वारा दिनांक 11.12.2023 कार्यालय में दी गयी। जिसके विरूद्ध खण्ड कार्यालय के पत्रांक 1470 / नोटिस / दिनांक 13.12.2023 के द्वारा डेरी संचालक / भू–स्वांमी के विरूद्ध अन्तिम नोटिस निर्गत किया गया। जिसमें डेरी संचालक को एक माह के अन्दर डेरी संचालन की गतिविधि बन्द करने हेतु कहा गया अन्यथा की स्थिति में डेरी संचालक के विरूद्ध परिषद अधिनियम 1965 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यावाही किये जाने हेतु सूचित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

2. यह कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों की टीम द्वारा प्रश्नगत स्थल 42 / 1 में सृजित भूखण्ड सं0– 45 / 1, जागृति विहार, मेरठ का निरीक्षण दिनांक 01.02.2024 को किया गया। जिसमें पाया गया कि वर्तमान में उक्त आवासीय भूखण्ड पर टीन शैड डालकर निर्माण किया गया है। एवं प्रश्नगत स्थल पर कोई पशुपालन / डेरी का संचालन नही किया जा रहा है। स्थल फोटोग्राफ्स संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
O/C (वीरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड मेरठ–03
ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ
(Email id:-eecdmeerut03@gmail.com)

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्रांक – 1470 / –नि0ख0 / दिनांक: 13/12/23

सेवा में,

1. आवंटी / भू–स्वामी
श्री अशोक जोली, श्री विनोद जोली, श्री रमन जोली एवं श्रीमती कृष्णावती
द्वारा मुख्तारेआम श्री समय सिंह सैनी
निवासी–129 / 6, जागृति विहार मेरठ।
2. वर्तमान अध्यासी
श्री राकेश शर्मा
निवासी–476 / 5, जागृति विहार मेरठ।

विषयः– योजना सं0–6, जागृति विहार मेरठ स्थित भूखण्ड सं0–42 / 1 के भाग पर अनाधिकृत रूप से सृजित 45 / 1 पर किये जा रहे डेरी के संचालन को बन्द के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि योजना सं0–6, जागृति विहार मेरठ स्थित भूखण्ड सं0–42 / 1 क्षेत्रफल 800 वर्ग मी0 मुख्यालय के आदेश सं0–1127 / एल0ए0सी0 / एच0क्यू0 दिनांक 22.11.2006 द्वारा उक्त भूमि का बेटरमेन्ट चार्ज लेते हुए भू–स्वामी के पक्ष में छोड़ी गयी थी। कार्यालय अभिलेखें के अनुसार जिसके स्वामी श्री अशोक जोली, श्री विनोद जोली, श्री रमन जोली एवं श्रीमती कृष्णावती द्वारा मुख्तारेआम श्री समय सिंह सैनी है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड के एक भाग (45 / 1) में श्री राकेश शर्मा, निवासी–476 / 5, जागृति विहार मेरठ द्वारा उक्त भूखण्ड पर भू–उपयोग परिवर्तन कर डेरी का संचालन किया जा रहा है। सूचित करना है कि आवासीय प्रयोग हेतु आवंटित भूखण्ड पर अवैध रूप से डेरी का संचालन करना तथा अन्य कोई व्यवसायिक प्रयोग परिषद के नियतो के अन्तर्गत अनुचित एवं अवैधानिक है।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य में आपको अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि यदि आप द्वारा एक माह के अन्दर उक्त भूखण्ड पर किये जो रहे डेरी के संचालन को बन्द नही किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के आवंटन नियमावली की सुंसगत धाराओ के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड सं0–42 / 1 पर सृजित भूखण्ड सं0–45 / 1 जागृति विहार योजना सं0–06, मेरठ के विरूद्ध वांछित कार्यवाही हेतु प्रकरण सम्बन्धित कार्यालय को सन्दर्भित कर दिया जायेग। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0: 1470 / उपरोक्तानुसार / तद्–दिनांक............

प्रतिलिपिः–

1– सम्बन्धित सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ–03 मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– नोटिस चस्पा

अधिशासी अभियन्ता

13/12/23

IS 15700:2018

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड मेरठ–03
ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ
(Email id:-eecdmeerut03@gmail.com)

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्रांक–355 /जी–14/11 दिनांकः–30.03.2024

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण
मुख्य बेंच, नई दिल्ली।

विषय : **मूल प्रार्थना पत्र सं0–461/2023 सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वाद उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2024 को आदेश पारित किये गये थे कि "In the Present case the colony is stated to have been developed by uttar pradesh awas Evam Vikas parishad (UPAVP) and in the facts circumstances of the case, we consider presence of UPAVP to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case accordingly UPAVP is Impleaded as respondent no 6"

इस सम्बन्ध में विपक्षी सं0–06, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से जबाब/प्रतिउत्तर निम्नवत् है।

1. योजना सं0–6, जागृति विहार मेरठ स्थित भूखण्ड सं0–42/1 क्षेत्रफल 800 वर्ग मी0 मुख्यालय के आदेश सं0–1127/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 22.11.2006 द्वारा उक्त भूमि का बेटरमेन्ट चार्ज लेते हुए भू–स्वांमी के पक्ष में छोड़ी गयी थी। कार्यालय अभिलेखें के अनुसार जिसके स्वामी श्री अशोक जोली, श्री विनोद जोली, श्री रमन जोली एवं श्रीमती कृष्णावती द्वारा मुख्तारेआम श्री समय सिंह सैनी है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड के एक भाग (45/1) में श्री राकेश शर्मा, निवासी–476/5, जागृति विहार मेरठ द्वारा प्रश्नगत स्थल पर डेरी संचालन की सूचना अवर अभियना द्वारा दिनांक 11.12.2023 कार्यालय में दी गयी। जिसके विरूद्व खण्ड कार्यालय के पत्रांक 1470/नोटिस/ दिनांक 13.12.2023 के द्वारा डेरी संचालक/भू–स्वांमी के विरूद्ध अन्तिम नोटिस निर्गत किया गया। जिसमें डेरी संचालक को एक माह के अन्दर डेरी संचालन की गतिविधि बन्द करने हेतु कहा गया अन्यथा की स्थिति में डेरी संचालक के विरूद्ध परिषद अधिनियम 1965 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यावाही किये जाने हेतु सूचित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

2. यह कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों की टीम द्वारा प्रश्नगत स्थल 42/1 में सृजित भूखण्ड सं0– 45/1, जागृति विहार, मेरठ का निरीक्षण दिनांक 01.02.2024 को किया गया। जिसमें पाया गया कि वर्तमान में उक्त आवासीय भूखण्ड पर टीन शैड डालकर निर्माण किया गया है। एवं प्रश्नगत स्थल पर कोई पशुपालन/डेरी का संचालन नही किया जा रहा है। स्थल फोटोग्राफ्स संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

[Type text]

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड मेरठ–03
ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ
(Email id:-eecdmeerut03@gmail.com)

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्रांक – 1170 / नो12/ / दिनांक: 13/12/23

सेवा में,

1. आवंटी / भू–स्वामी
श्री अशोक जोली, श्री विनोद जोली, श्री रमन जोली एवं श्रीमती कृष्णावती
द्वारा मुख्तारेआम श्री समय सिंह सैनी
निवासी–129 / 6, जागृति विहार मेरठ।
2. वर्तमान अध्यासी
श्री राकेश शर्मा
निवासी–476 / 5, जागृति विहार मेरठ।

विषय:– योजना सं0–6, जागृति विहार मेरठ स्थित भूखण्ड सं0–42 / 1 के भाग पर अनाधिकृत रूप से सृजित 45 / 1 पर किये जा रहे डेरी के संचालन को बन्द के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि योजना सं0–6, जागृति विहार मेरठ स्थित भूखण्ड सं0–42 / 1 क्षेत्रफल 800 वर्ग मी0 मुख्यालय के आदेश सं0–1127 / एल0ए0सी0 / एच0क्यू0 दिनांक 22.11.2006 द्वारा उक्त भूमि का सेटरमेन्ट चार्ज लेते हुए भू–स्वामी के पक्ष में छोड़ी गयी थी। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार भू–स्वामी श्री अशोक जोली, श्री विनोद जोली, श्री रमन जोली एवं श्रीमती कृष्णावती द्वारा मुख्तारेआम श्री समय सिंह सैनी है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड के एक भाग (45 / 1) में श्री राकेश शर्मा, निवासी–476 / 5, जागृति विहार मेरठ द्वारा उक्त भूखण्ड पर भू–उपयोग परिवर्तन कर डेरी का संचालन किया जा रहा है। सूचित करना है कि आवासीय प्रयोग हेतु आवंटित भूखण्ड पर अवैध रूप से डेरी का संचालन करना तथा अन्य कोई व्यवसायिक प्रयोग परिषद के नियतो के अन्तर्गत अनुचित एवं अवैधानिक है।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य में आपको अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि यदि आप द्वारा एक माह के अन्दर उक्त भूखण्ड पर किये जा रहे डेरी के संचालन को बन्द नही किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के आवंटन नियमावली की सुसंगत धाराओ के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड सं0–42 / 1 पर सृजित भूखण्ड सं0–45 / 1 जागृति विहार योजना सं0–06, मेरठ के विरूद्ध वांछित कार्यवाही हेतु प्रकरण सम्बन्धित कार्यालय को सन्दर्भित कर दिया जायेगा। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

भवदीय
(वीरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
O/C

पत्रांक 1170 / [illegible] / तद्–दिनांक............

प्रतिलिपि:–
1. [illegible] सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ–03 मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. [illegible]

अधिशासी अभियन्ता
O/C

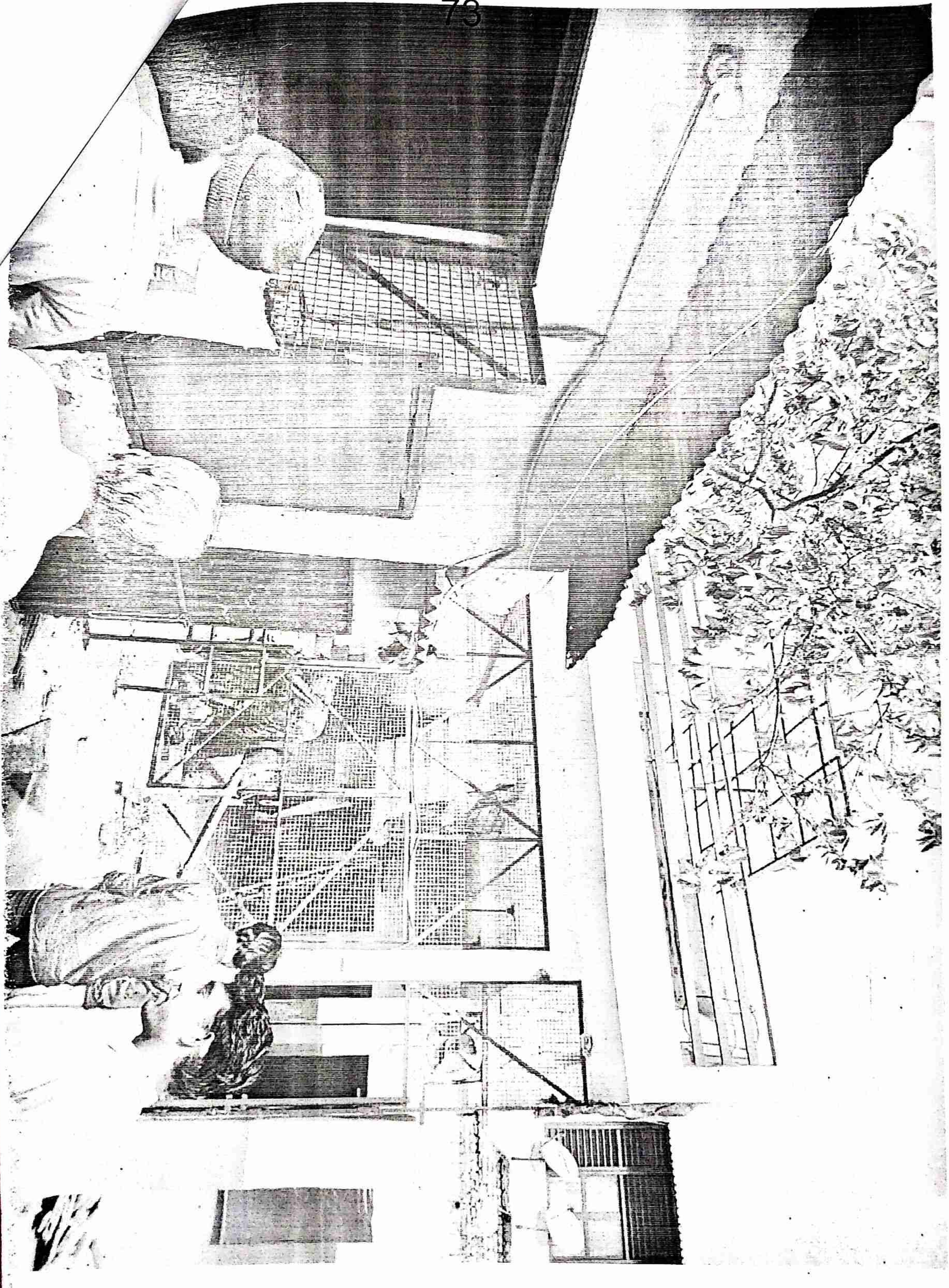

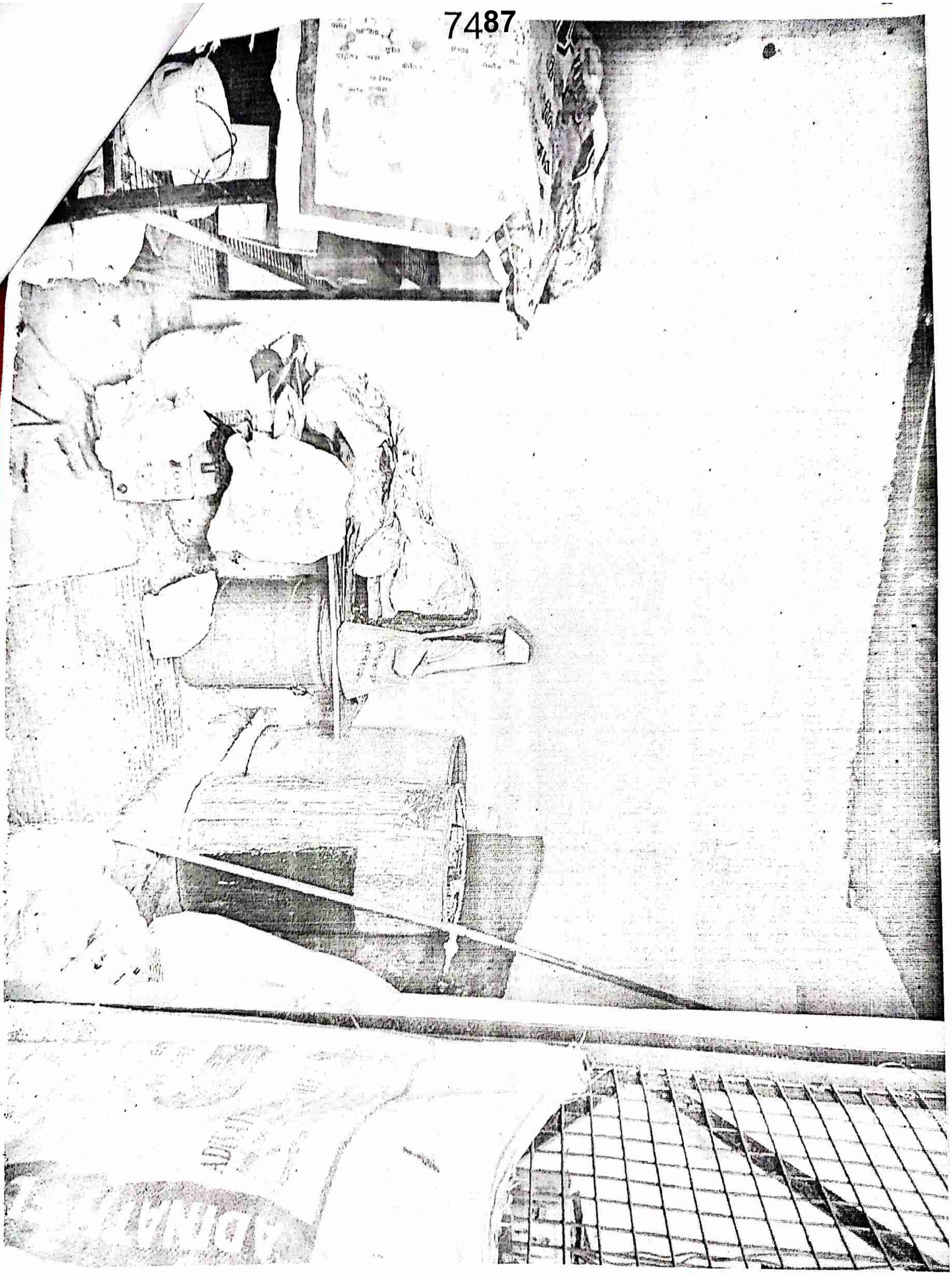

कार्यालय नगर निगम, मेरठ।

पत्रांक : 977 /अ0न0आ0–न0नि0मे0/2024 दिनांक: 12–07–2024

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
मेरठ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्याः–461/2023/Surender Singh & Ors Vs State of Uttarpradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या ओ.ए. नं0 461/2023/Surender Singh & Ors Vs State of Uttarpradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त वाद की दिनांक 19.07.2024 को होने वाली सुनवाई के समय नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ द्वारा अधिकृत अधिकारी को उपयुक्त तथ्यों के साथ भैतिक रूप से उपस्थित रहने के आदेश पारित हुए है।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में उक्त वाद के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 09.04.2024 के अनुसार उक्त वाद से संबंधित अधिकारियों को वाद के समय में उचित तथ्यों के साथ भौतिक रूप से मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के आदेश पारित हुए है। इस सबंध में यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2024 में शिकायती स्थल पर निरीक्षण के समय मात्र एक बछिया व एक गाय पाली जा रही थी, जिसका गोबर किचन गार्डन में खाद्य के रूप में उपयोग किया जा रहा था। शिकायती स्थल पर कोई गोबर या गोमूत्र नहीं पाया गया तथा शिकायती स्थल पर साफ–सफाई भी पर्याप्त पायी गयी थी। महोदय वर्तमान में गोपालक श्री राकेश शर्मा द्वारा कोई भी गाय या बछिया नहीं पाली जा रही है तथा शिकायती स्थल के आस–पास का क्षेत्र भी साफ–सुथरा है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के क्रम में नगर निगम, मेरठ के अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया प्रतिउत्तर संलग्न कर दिया गया है। उक्त वाद में मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए डॉ0 हरपाल सिंह, पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी को नामित किया गया है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।

Phone :- 0121-257767
Email Id :- romeerut@

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 299/G/OA-461/Surendra/2024 दिनांक– 22-6-24

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर),
मेरठ।

मा0एनजीटी प्रकरण

विषय– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–461/2023 Surender Singh & Ors. Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक–09/04/2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अनुस्मारक–1 पत्रांक–8281/जे0ए0प्रथम/एनजीटी/2024 दिनांक–18/06/2024 एवं 7654/जे0ए0 प्रथम/एनजीटी/2024 दिनांक–07/05/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि संदर्भित वाद में मा0एनजीटी द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक–02/08/2023 के कम में अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गठित समिति द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण दिनांक–08/09/2023 को किया गया एवं समिति की संयुक्त रिपोर्ट मा0एनजीटी में दिनांक–02/11/2023 को दाखिल की गयी है। रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

अग्रेतर मा0एनजीटी द्वारा अपने अद्यतन आदेश दिनांक–09/04/2024 के द्वारा आवास विकास परिषद, नगर निगम एवं जिलाधिकारी महोदय के स्तर से Reply दाखिल करने के आदेश दिये गये गये हैं । वर्तमान में उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा0एनजीटी में Reply दाखिल नहीं किया जाना है।

507
JA I

अतः मा0एनजीटी के आदेश दिनांक–09/04/2024 के अनुपालन में आवास विकास परिषद एवं नगर निगम के द्वारा विभागीय स्तर से Reply दाखिल करते हुये जिलाधिकारी महोदय की ओर से भी Reply दाखिल कराया जाना है एवं अग्रिम सुनवाई तिथि 19/07/2024 को प्राधिकृत अधिकारियों को मा0एनजीटी के समक्ष उपस्थित होना है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक–74/जी/ओ0ए0–461/सुरेन्द्र सिंह/2024 दिनांक–16/04/2024 द्वारा संबंधित को पत्र प्रेषित किया गया है(छायाप्रति संलग्न)।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक–यथोपरि।

अपर जिलाधिकारी (नगर) मेरठ
25/06/24

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक–एच09957/सी–3/एनजीटी–345/2024 दिनांक–25/04/24 के अनुक्रम में।
3. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

...T IN COMPLIANCE TO HON'BLE NGT ORDERDATED 02.08.2023 IN ...E ORIGINAL APPLICATION NO. 461 OF 2023 IN THE MATTER OF SURENDER SINGH AND OTHERS VS STATE OF U.P.

Background-

Hon'ble NGT in its Order Dated 02.08.2023 Original Application No. 461 of 2023 in the matter of Surender Singh and others vs State of U.P., which is registered on the basis of letter petition filed complainant Surender Singh and other residents of Jagriti Vihar, Meerut through post, directed as below-

...." ***1. The grievance in the present application is regarding running of milk dairy by Rakesh Sharma resident of 476/5 Jagrati Vihar in residential plot No. 45/1. The applicant has submitted that milk dairy is being looked after by employees of Rakesh Sharma who comes in the morning and evening only for sale of milk. The cow dung and other garbage is gathered in the plot and drained with water drawn by submersible pump into municipal drain which remains choked. The garbage is leading to growth of flies and mosquitoes and creating health hazards to residents of the colony. The residents of the colony requested Rakesh Sharma to shift the dairy but he refused.***

2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

3. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual 2 position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and District Magistrate, Meerut and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. We also consider it appropriate to seek response from Rakesh Sharma resident of 476/5 Jagrati Vihar, Meerut, Uttar Pradesh. The Registry is directed to issue notice to the Project Proponent requiring him to file his response to the averments made in the application by e-mail at judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 07.11.2023.

7. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the UPSPCB and District Magistrate, Meerut by e-mail for requisite compliance."....

Inspection of site and findings-

Inspection of site was carried out on 08.09.2023. During inspection Shri Surya Manya S/o Shri Rakesh Sharma present at the time of inspection. He told that his father Shri Rakesh Sharma is owner of questioned Plot No. 476/5 having area approx. 180sqm. At the time of inspection 02 Milk Cows and 02 She-Calves were kept in the premises. Fine screen found installed at the discharge point. A dung stick making machine is also installed. The owners are making medicated dung stick using mango wood dust, tulsi, lohband & guggul and distributing it to free of cost. Front/outer area of plot was found clean. Jagrati Vihar is approx. 40-45 years old residential colony developed by U.P. Awas & Vikas Parishad.

During inspection adjacent resident/complainant Mr. Surender Singh told that due to cow husbandry they are suffering from bad smell. Officials of the Municipal Corporation, Meerut informed that Milk cow could be kept for individual purpose it is provisioned that individual should obtain required license from Municipal Corporation after obtaining the required license from Municipal Corporation. However it is also informed that presently licences for cattle are not being issued by Municipal Corporation. However Municipal Corporation Meerut has imposed a fine of Rs. 20,000/- with the direction to close the dairy immediately otherwise fine of Rs.

20,000/- per day would be imposed against the dairy owner. The notice is annexed as Annexure-1 notice vide dated 25.08.2023 against Shri Rakesh Sharma resident of 476/5, Jagriti Vihar, Meerut in compliance of order dated 22.09.2015 passed by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 138/2015 Krishnapal versus Union of India and Ors.

Copy of photographs taken during inspection are attached.

Joint report in the compliance of order passed by Hon'ble National Green Tribunal in the matter is for kind consideration.

Amit Kumar Singh, Additional District Magistrate, Administration District – **Meerut**	(signature)
Dr. Harpal Singh, Veterinary Office/Nagar Swasthya Adhikari Municipal Corporation, Meerut	(signature)
Yogesh Kumar Mishra, Assistant Environment Engineer U.P. Pollution Control Board, Meerut	(signature)

Latitude 28.961021
Longitude 77.744586
Elevation 246.42±8 m
Accuracy 4.4 m
Time 08-09-2023 13:31

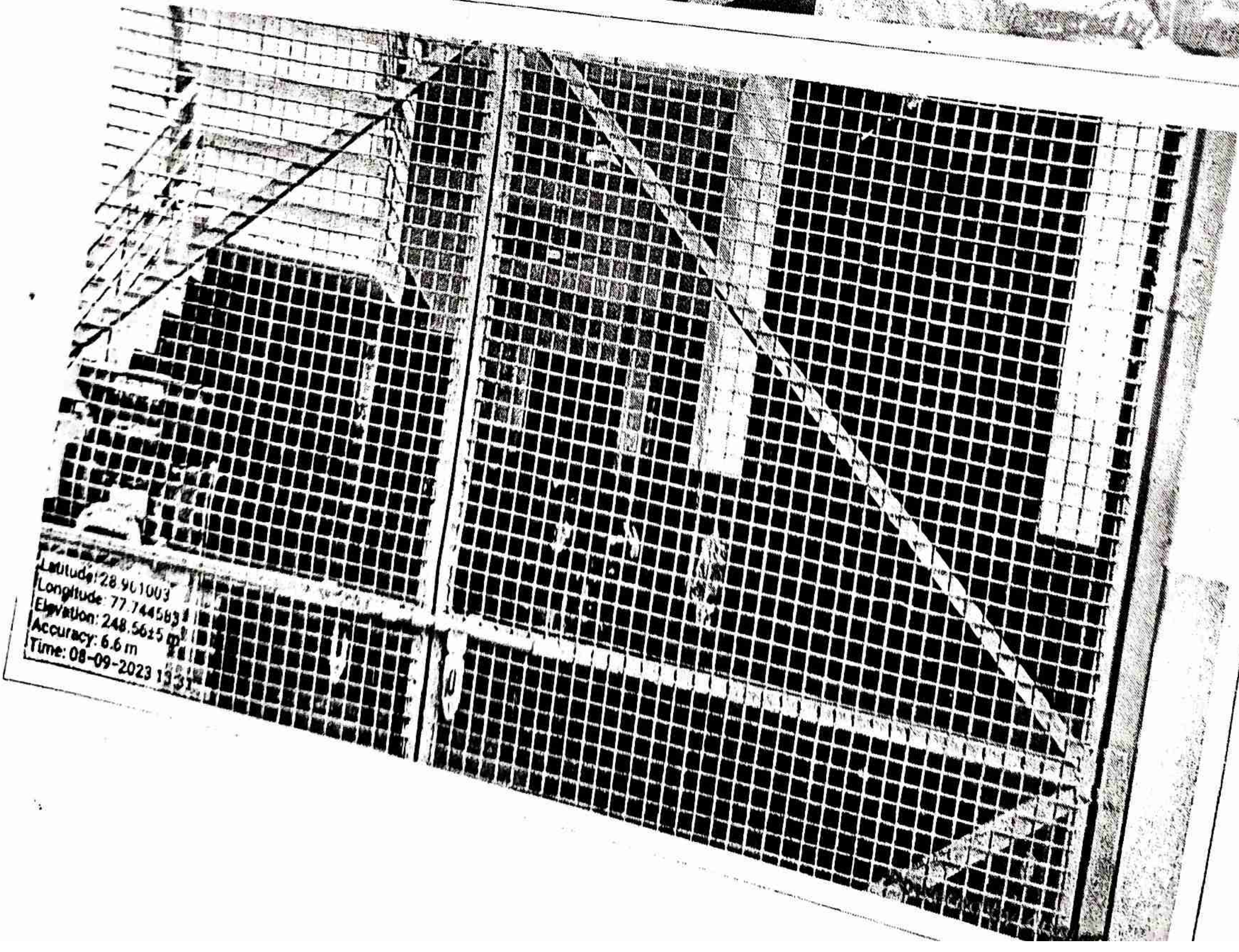
Latitude: 28.961003
Longitude: 77.744583
Elevation: 248.56±5 m
Accuracy: 6.6 m
Time: 08-09-2023 13:31

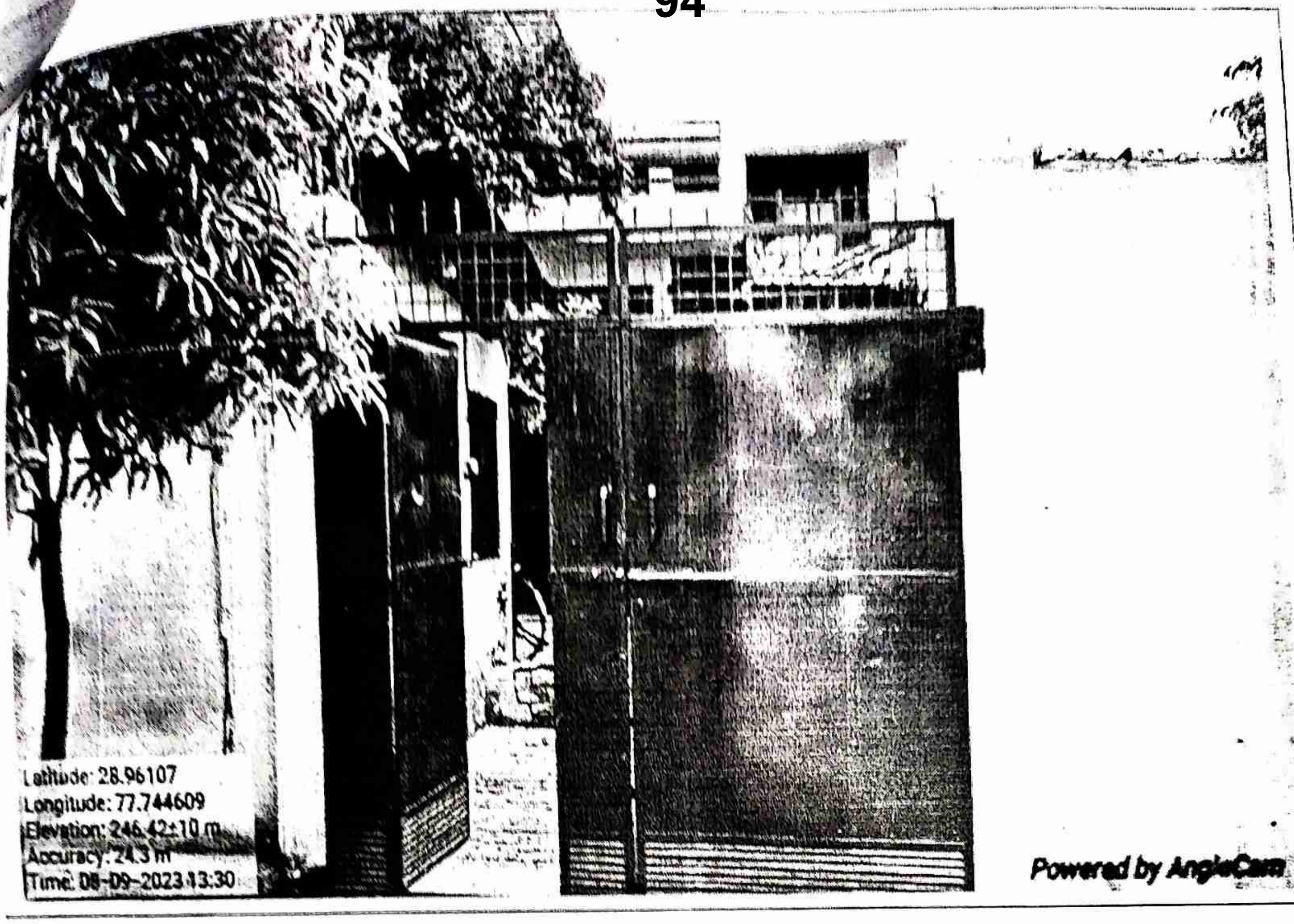
Latitude: 28.96107
Longitude: 77.744609
Elevation: 246.42±10 m
Accuracy: 24.3 m
Time: 08-09-2023 13:30
Powered by AngleCam

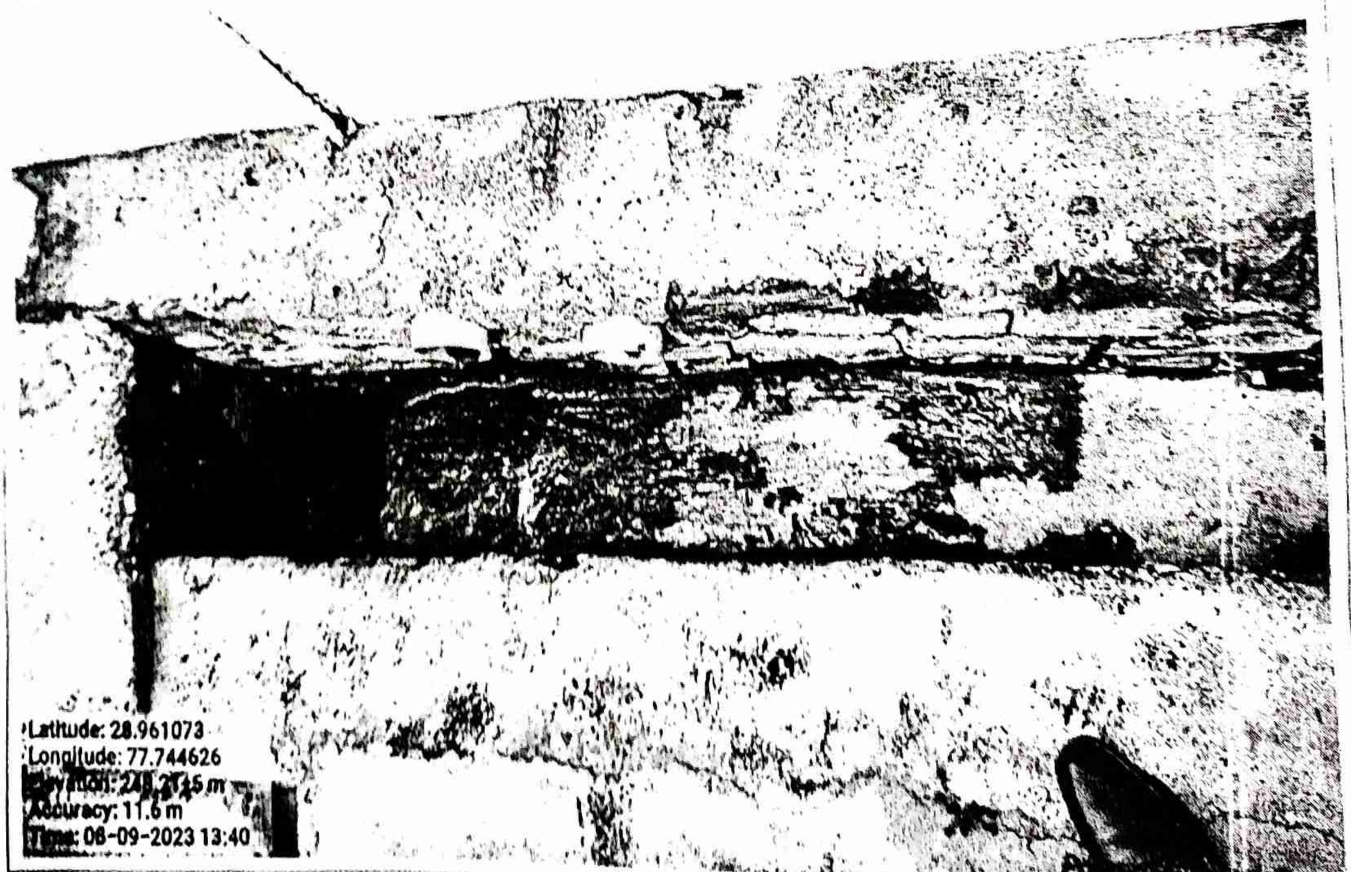
Latitude: 28.961073
Longitude: 77.744626
Accuracy: 11.6 m
Time: 08-09-2023 13:40